



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935

No. 94]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 128(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- चीनी विकास निधि नियम, 1983 के नियम 20क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘20ख कच्ची चीनी के उत्पादन के लिए विपणन और संवर्धन सेवाओं संबंधी व्यय को चुकाना’—

- केन्द्रीय सरकार कच्ची चीनी के उत्पादन के लिए विपणन और संवर्धन सेवाओं के लिए प्रोत्साहन के प्रति व्यय को चुकाने के लिए समय-समय पर निर्णय ले सकती है।
- चीनी कारखानों जो कच्ची चीनी का उत्पादन करती हैं और उसका निर्यात करते हैं या तो स्वयं या निर्यातकों के माध्यम से करते हैं वे प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।
- अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अधीन अग्रिम प्राधिकार अनुज्ञप्ति के अमान्यकरण आयात के विरुद्ध ऐसे प्रोत्साहन के लिए हकदार होगा;

परन्तु ऐसी कच्ची चीनी की घरेलू आपूर्ति का परिष्करण और निर्यात 90 दिनों के भीतर कर दिया जाए।

- प्रोत्साहन फरवरी और मार्च 2014 के लिए प्रति मी. टन तीन हजार तीन सौ रुपये की दर से होगा और, तत्पश्चात क्रमशः अप्रैल-मई, जून-जुलाई और अगस्त-सितंबर, 2014 के 1 अप्रैल, 2014, 1 जून, 2014 और

- 1 अगस्त, 2014 से तत्काल पूर्व के सात दिनों के अनुसार अमेरिकी डॉलर के साथ-साथ रूपये की औसतन विनिमय दर पर विचार करने के पश्चात प्रत्येक दो महीनों में पुनः परिकल्पित किया जाएगा।
- (5) प्रोत्साहन निर्धारण के लिए लदान की तारीख आधार होगी।
 - (6) प्रोत्साहन का पुनःविलोकन अगले चीनी मौसम के प्रारंभ होने से पहले होगा।
 - (7) महानिदेशक, विदेश व्यापार के वेब पते <http://dgft.gov.in/homepage.asp> के माध्यम से चाहे वह कच्ची चीनी के सीधे निर्यात के लिए हो अथवा अग्रिम प्राधिकार धारकों के लिए अमान्यकरण के विरुद्ध समझे गए निर्यात आपूर्तियों के लिए हो, निर्यात संविदाओं का पूर्व रजिस्ट्रीकरण/अधिदेशात्मक होगा।
 - (8) प्रोत्साहन 2013-2014 या 2014-15 चीनी मौसमों के दौरान उत्पादित और निर्यातित कच्ची चीनी उक्त चीनी मौसमों के दौरान इस अधिसूचना की तारीख से महानिदेशक, विदेश व्यापार से रजिस्ट्रीकरण कराने के पश्चात् निर्यात करने के लिए चालीस लाख मी. टन तक सीमित होगा।
 - (9) कृषकों को संदाय करने के लिए किसी चीनी कारखाने को देय प्रोत्साहन का उपयोग किया जाएगा और चीनी विकास निधि ऋणों और एलएसपीईएफ देयों के दौरान यदि कोई राशि बाकी होती है तो उसके समायोजन या वसूली के पश्चात उसे जारी किया जाएगा।
 - (10) किसानों को संदाय करने के लिए निर्मुक्त की गई प्रोत्साहन राशि के उपयोग को सुनिश्चित करने के क्रम में चीनी कारखाने या तो एक पृथक विग्रहणाधिकार बैंक खाता खोलेंगे और दावों के प्रस्तुतीकरण के समय उसके ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे अथवा एसईएफएएसयू, 2014 के लिए पहले से ही खोले गए उसी प्रकार के खाते को इंगित करेंगे।
 - (11) उपनियम (4) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग कारखाने द्वारा प्रोत्साहनकारी राशि के प्राप्त होने के तीन मास के भीतर किसानों के गन्ना बकायों के भुगतान के लिए किया जाएगा और इसके लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र को संलग्न प्रपत्र में चीनी या गन्ना आयुक्त से उसकी प्राप्ति के एक मास के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
 - (12) चीनी कारखाना मुख्य निदेशक (शर्करा) शर्करा निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली को प्रारूप- X में उपनियम (4) में निर्दिष्ट भुगतान के लिए अपने दावे प्रस्तुत करेगा और उसी समय कारखाने से प्रेषणों के समय और वास्तविक लदानों के समय वेब पते - <http://dgft.gov.in/homepage.asp>, के माध्यम से ऑनलाइन भेजेगा।
 - (13) प्रोत्साहन के लिए दावे भुगतान के पक्के सबूत के साथ एलईटी निर्यात आदेश की तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे।
 - (14) जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है इस नियम के किसी उपाबंध को आदेश द्वारा और शिथिल कर सकेगी।
 - (15) केन्द्रीय सरकार को किसी भी समय स्कीम को संशोधित करने/उपांतरित करने अथवा बंद करने का अधिकार है और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध फायदाग्राहियों को दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

व्याख्या : कच्ची चीनी का अभिप्राय, उस चीनी से है जिसका अवयव भार से शुष्क अवस्था में 99.5 से कम पोलारिमीटर रीडिंग के अनुरूप होता है जैसाकि कस्टम टेरिफ एक्ट, 1975 के प्रथम अनुसूची के पाठ 17 के उप-शीर्षक नोट 2 में परिभाषित है।

[फा. सं. 20(90)/2013-एसपी-1]

टी.जैकब, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 752 (अ), तारीख 28 सितम्बर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए थे :—

- (i) सा.का.नि. 817 (अ) तारीख 20 दिसम्बर, 1984;

- (ii) सा.का.नि. 838(अ) तारीख 14 नवम्बर, 1985;
- (iii) सा.का.नि. 551(अ) तारीख 6 मई, 1988;
- (iv) सा.का.नि. 235(अ) तारीख 24 अप्रैल, 1991;
- (v) सा.का.नि. 441(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1992;
- (vi) सा.का.नि. 435(अ) तारीख 6 मई, 1994;
- (vii) सा.का.नि. 27(अ) तारीख 12 जनवरी, 1996;
- (viii) सा.का.नि. 656(अ) तारीख 21 नवम्बर, 1997;
- (ix) सा.का.नि. 91(अ) तारीख 12 फरवरी, 2001;
- (x) सा.का.नि. 886(अ) तारीख 6 दिसम्बर, 2001;
- (xi) सा.का.नि. 442(अ) तारीख 21 जून, 2002;
- (xii) सा.का.नि. 584(अ) तारीख 19 अगस्त, 2002;
- (xiii) सा.का.नि. 67 (अ) तारीख 29 जनवरी, 2003;
- (xiv) सा.का.नि. 241 (अ) तारीख 25 मार्च, 2003;
- (xv) सा.का.नि. 787 (अ) तारीख 6 अक्टूबर, 2003;
- (xvi) सा.का.नि. 895 (अ) तारीख 19 नवम्बर, 2003;
- (xvii) सा.का.नि. 953 (अ) तारीख 17 दिसम्बर, 2003;
- (xviii) सा.का.नि. 72 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2004;
- (xix) सा.का.नि. 687 (अ) तारीख 21 अक्टूबर, 2004;
- (xx) सा.का.नि. 739 (अ) तारीख 9 नवम्बर, 2004;
- (xxi) सा.का.नि. 149 (अ) तारीख 2 मार्च, 2005;
- (xxii) सा.का.नि. 451 (अ) तारीख 4 जुलाई, 2005;
- (xxiii) सा.का.नि. 558 (अ) तारीख 15 सितम्बर, 2006;
- (xxiv) सा.का.नि. 188 (अ) तारीख 9 मार्च, 2007;
- (xxv) सा.का.नि. 697 (अ) तारीख 7 नवम्बर, 2007;
- (xxvi) सा.का.नि. 699 (अ) तारीख 8 नवम्बर, 2007;
- (xxvii) सा.का.नि. 738 (अ) तारीख 29 नवम्बर, 2007;
- (xxviii) सा.का.नि. 749 (अ) तारीख 5 सितम्बर, 2007;
- (xxix) सा.का.नि. 115 (अ) तारीख 28 फरवरी, 2008;
- (xxx) सा.का.नि. 279 (अ) तारीख 10 अप्रैल, 2008;
- (xxxii) सा.का.नि. 388 (अ) तारीख 19 मई, 2008;
- (xxxiii) सा.का.नि. 508(अ) तारीख 7 जुलाई, 2009;
- (xxxiiii) सा.का.नि. 210(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2013.

फार्म X

[नियम 20 ख (12) देखें]

कच्ची चीनी उत्पादन के विपणन और संवर्धन सेवाओं के लिए व्यय चुकाने के लिए आवेदन प्रारूप
(कच्ची चीनी उत्पादक कारखाने द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है)

1. कच्ची चीनी विनिर्माता का विवरण: -

क) नाम: -

ख) संयंत्र का संक्षिप्त नाम: -

ग) संयंत्र की कोड संख्या: -

घ) पूरा पता: -

ङ) टेलीफोन संख्या, फैक्स संख्या और ई-मेल: -

च) आईईसी कोड संख्या (यदि कारखाना ने स्वयं निर्यात किया हो): -

2. निर्यातक का विवरण (यदि व्यापारी निर्यातक के माध्यम से निर्यात हुआ हो): -

क) नाम: -

ख) पता: -

ग) आईईसी कोड संख्या: -

घ) आईईसी की वैधता तारीख: -

3. दावे की अवधि (कृपया संगत खांचे में चिह्न (√) लगाए):- फरवरी - मार्च, 2014 / अप्रैल - मई, 2014 /
जून - जुलाई, 2014 / अगस्त-सितम्बर, 2014

4. आरटीजीएस कोड आदि किसानों के संदाय करने हेतु अलग बैंक खाते के ब्यौरे:

5. भुगतान के लिए दावा की गई रकम के ब्यौरे:

क्रम सं.	कच्ची चीनी का उत्पादन और किया गया निर्यात/ समझा गया निर्यात (मी.टन में)	प्रोत्साहन रकम प्रति मी.टन (रु. में)	प्रोत्साहन के लिए स्वीकार्य कुल रकम (रु. में)	टिप्पणियां, यदि कोई हो

6. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे:

I. निर्यात के प्रमाण में दस्तावेज (यदि मूल दस्तावेज न हो तो संबंधित सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/बैंक अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाना है):

(क) कच्ची चीनी निर्यात के मामले में

a) एआरई-1 की प्रमाणित प्रति

b) ऐसे निर्यात पर इयूटी ड्राबैंक का लाभ उठाने के विकल्प का उल्लेख करते हुए शिपिंग बिल की प्रमाणित प्रति

c) एलईओ की प्रमाणित प्रति

d) निर्यात से प्राप्त आगम वसूली प्रमाण पत्र (बीआरसी)

e) डीजीएफटी द्वारा जारी आरसी की प्रति

f) यदि व्यापारी निर्यात कारखाने द्वारा उत्पादित कच्ची चीनी का निर्यात करता है तो एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र जो व्यापारी निर्यात और कारखाने के बीच संविदा को प्रमाणित करता हो।

g) ईआर-1 की प्रमाणित प्रति।

(ख) एए अविधिमान्यकरण के विरुद्ध परिष्कृत चीनी के निर्यात के मामले में।

(क) कच्ची चीनी उत्पादक और एए धारक के मध्य करार

- (ख) अविधिमान्यकरण एए लाइसेंस
 (ग) एआरई-3 की प्रमाणित प्रति
 (घ) एआरई-2 की प्रमाणित प्रति
 (ङ) शिपिंग बिल की प्रमाणित प्रति
 (च) एलईओ की प्रमाणित प्रति
 (छ) बैंक द्वारा जारी निर्यात से प्राप्त आगम वसूली (बीआरसी) प्रमाण पत्र
 (ज) डीजीएफटी द्वारा जारी आरसी की प्रति
 (झ) ईआर- 1 की प्रमाणित प्रति

II. उपाबंध-1 पर निर्धारित प्रपत्र में पूर्व प्राप्त बिल

III. उपाबंध-2 पर मिलान कथन

स्थान :-

तारीख :-

(चीनी कारखाने के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)
 (कृपया नाम का उल्लेख करें और मोहर लगाएं)

उपाबंध - 1

कच्ची चीनी उत्पादन के विपणन और संवर्धन सेवाओं पर व्यय चुकाने के लिए पूर्व प्राप्त बिल
 (दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है)

कारखाने का नाम और पता: -

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से रु. _____ (रु. _____ रुपए केवल)
 प्राप्त किए।

घोषणा: -

1. मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान एवं घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचना सही है और इससे संबंधित कोई भी सूचना छिपाई नहीं गई है।
2. मैं घोषणा करता हूँ कि कच्ची चीनी उत्पादन की विपणन और संवर्धन सेवाओं के व्यय चुकाने के दावे के लिए उपरोक्त दावा पूर्ण और अंतिम निबटारा है।
3. मैं प्रमाणित करता हूँ कि चीनी कारखाने ने कच्ची चीनी के विपणन और संवर्धन सेवाओं पर इस दावे के प्रस्तुत करने से पूर्व केंद्रीय सरकार से प्रारूप X के क्रम सं. 5 पर उल्लिखित अवधि के दौरान निर्यात की गई मात्रा के लिए चुकाया गया व्यय प्राप्त नहीं किया है।
4. मैं यदि उपर्युक्त दावे में कोई सूचना किसी भी समय असत्य पाई गई तो, यथा अपेक्षित केंद्रीय सरकार को प्राप्त किए गए दावे की ऐसी रकम ब्याज सहित लौटाने के लिए वचनबद्ध हूँ।
5. मैं यदि कोई रकम जो गन्ना कीमतों के संदाय के लिए प्राप्त की गई है और इसके देयों का उपयोग नहीं हो पाया हो या इनके नियमों के उपबंधों का सख्ती से पालन न किया गया हो, जैसा भी अपेक्षित हो, तो मैं केंद्रीय सरकार को प्राप्त किए गए दावे की रकम ब्याज सहित लौटाने के लिए वचनबद्ध हूँ।
6. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं पूर्ववर्ती घोषणा करने तथा स्वत्वधारी या भागीदार या कम्पनी या अधिभोगी या उपर्युक्त चीनी कारखाने स्वामी की ओर से इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:-

तारीख:-

(चीनी कारखाने के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)
 (कृपया नाम का उल्लेख करें और मोहर लगाएं)

प्रारूप
[नियम 20ख (11) देखें]
उपयोगिता प्रमाण पत्र

चीनी कारखाने का नाम:

संक्षिप्त नाम और संयंत्र कोड:

यह प्रमाणित किया जाता है कि कच्ची चीनी उत्पादन के विपणन तथा संवर्धन सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए _____ रु. की रकम जो कि _____ (बैंक व शाखा का नाम) द्वारा धारित _____ नो-लियन खाता संख्या..... में..... तारीख को संवितरित की गई थी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियत फेयर एंड रेमुनेरेटिव प्राइज़ (एफआरपी) से संबंधित है, वह किसानों के गन्ना बकाया के संदाय हेतु प्रोत्साहन रकम के प्राप्त होने के तीन माह के अंदर उपयोग में ले ली गई है।

चीनी मिल के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(एमडी/सीईओ से नीचे के पद का न हो)

नाम

पदनाम

(कार्यालय की मुहर लगायें)

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर:

नाम

पदनाम

(कार्यालय की मुहर लगायें)

तारीख:

स्थान:

(राज्य चीनी/गन्ना आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित हो)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2014

G.S.R. 128(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely:—

1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sugar Development Fund Rules, 1983, after rule 20A, the following rule shall be inserted, namely. –

“20 B. Defraying expenditure on marketing and promotion services for raw sugar production.— (1) The Central Government may, from time to time, decide to defray expenditure for incentive towards marketing and promotion services for raw sugar production.

(2) The sugar factories which produce raw sugar and undertake export of the same either themselves or through exporters shall be eligible for incentive.

(3) The sugar factories shall also be entitled for such incentive for raw sugar supplies against import invalidation of Advance Authorization License under Advance Authorization Scheme:

Provided that such domestic supplies of raw sugar shall be refined and exported within ninety days of the supply.

(4) The incentive shall be at the rate of Rupees three thousand three hundred per metric tonne for February and March, 2014 and, thereafter, be recalculated every two months after taking into account the average exchange rate of Rupee vis-à-vis USD as on the seven days immediately preceding 1st April, 2014, 1st June, 2014, and 1st August, 2014, for April-May, June-July and August-September, 2014, respectively.

(5) The date of shipment shall be the basis for determining the incentive.

- (6) The incentive shall be reviewed before the commencement of the next sugar season.
- (7) For the direct export of raw sugar or of deemed export supplies against invalidation to Advance Authorization holders, prior registration of export contracts from Director General of Foreign Trade through web address: http://dgft.gov.in/e_homepage.asp shall be mandatory.
- (8) The incentive shall be for a quantitative limit not exceeding forty lakh metric tonnes of raw sugar produced and exported during 2013-14 or 2014-15 sugar season after registration with Director General of Foreign Trade from the date of this notification, during the said sugar seasons.
- (9) The incentive due to a sugar factory shall be utilized for making payment to the farmers and shall be released after adjusting or recovering any amounts, if over-due, towards Sugar Development Fund loans and LSPEF dues.
- (10) In order to ensure the utilization of released incentive amount for payments to farmers, the sugar factory shall either open a separate no-lien bank account and furnish details of the same at the time of submission of the claim or shall indicate the similar account already opened up for SEFASU, 2014.
- (11) The amount referred to in sub-rule (4) shall be utilized by the factory to make payment of cane dues of the farmers within three months of receipt of the incentive amount and a utilization certificate to this effect shall be submitted within one month of the receipt of same through Sugar Commissioner or Cane Commissioner in the proforma specified herein.
- (12) The sugar factory shall submit its claim for payment referred to in sub-rule (4), in Form-X to the Chief Director (Sugar), Directorate of Sugar, Department of Food and Public Distribution, New Delhi and shall also simultaneously submit to the sugar factory through web address: http://esugar.nic.in/sugar_pii at the time of factory dispatches and at the time of actual shipment.
- (13) The claim for incentive shall be submitted within one hundred and twenty days from the LET export order date with firm proof of payment.
- (14) Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of this rule.
- (15) The Central Government may amend or modify or discontinue the scheme at any time and the beneficiaries shall have no right or claim against such decision.

Explanation : For the purposes of this rule, “raw sugar” means sugar whose sugar content of sucrose by weight, in dry state, corresponds to a polarimeter reading of less than 99.5 referred to in Sub-Heading Note 2 of Chapter 17 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

[F. No. 20(90)/2013-SP-I]

T. JACOB, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 752(E), dated the 28th September, 1983 and were subsequently amended by the following notification—

- (i) G.S.R. 817 (E), dated the 20th December, 1984;
- (ii) G.S.R. 838(E), dated the 14th November, 1985;
- (iii) G.S.R. 551(E), dated the 6th May, 1988;
- (iv) G.S.R. 235(E), dated the 24th April, 1991;
- (v) G.S.R. 441(E), dated the 28th April, 1992;
- (vi) G.S.R. 435(E), dated the 6th May, 1994;
- (vii) G.S.R. 27(E), dated the 12th January, 1996;
- (viii) G.S.R. 656(E), dated the 21st November, 1997;
- (ix) G.S.R. 91(E), dated the 12th February, 2001;
- (x) G.S.R. 886(E), dated the 6th December, 2001;
- (xi) G.S.R. 442(E), dated the 21st June, 2002;
- (xii) G.S.R. 584 (E), dated the 19th August, 2002;
- (xiii) G.S.R. 67 (E), dated the 29th January, 2003;
- (xiv) G.S.R. 241 (E), dated the 25th March, 2003;
- (xv) G.S.R. 787 (E), dated the 6th October, 2003;
- (xvi) G.S.R. 895 (E), dated the 19th November, 2003;
- (xvii) G.S.R. 953 (E), dated the 17th December, 2003;

- (xviii) G.S.R. 72 (E), dated the 23rd January, 2004;
 (xix) G.S.R. 687 (E), dated the 21st October, 2004;
 (xx) G.S.R. 739 (E), dated the 9th November, 2004;
 (xxi) G.S.R. 149 (E), dated the 2nd March, 2005;
 (xxii) G.S.R. 451 (E), dated the 4th July, 2005;
 (xxiii) G.S.R. 558 (E), dated the 15th September, 2006;
 (xxiv) G.S.R. 188 (E), dated the 9th March, 2007;
 (xxv) G.S.R. 697 (E), dated the 7th November, 2007;
 (xxvi) G.S.R. 699 (E), dated the 8th November, 2007;
 (xxvii) G.S.R. 738 (E), dated the 29th November, 2007;
 (xxviii) G.S.R. 749 (E), dated the 5th December, 2007;
 (xxix) G.S.R. 115 (E), dated the 28th February, 2008;
 (xxx) G.S.R. 279 (E), dated the 10th April, 2008;
 (xxxi) G.S.R. 388 (E), dated the 19th May, 2008;
 (xxxii) G.S.R. 508(E), dated the 7th July, 2009;
 (xxxiii) G.S.R. 210 (E) dated the 8th April, 2013.

Form X

[See rule 20 B (12)]

APPLICATION FORM FOR DEFRAYING EXPENDITURE ON MARKETING AND PROMOTION SERVICES OF RAW SUGAR PRODUCTION

(To be furnished in duplicate by raw sugar producer factory)

1. Details of Raw Sugar manufacturer:
 - (A) Name:
 - (B) Plant short name:
 - (C) Plant Code number:
 - (D) Complete address:
 - (E) Telephone (s) number, Fax Number and e mail:
 - (F) IEC Code Number (if exported by factory itself):
2. Details of the exporter (if exported through merchant exporter):
 - (A) Name:
 - (B) Address:
 - (C) IEC code number:
 - (D) Date of validity of IEC:
3. Claim period (Please tick (✓) the relevant slot) : -February – March, 2014 / April – May, 2014 / June – July, 2014 / August-September, 2014
4. Details of separate bank account for making farmer payments including RTGS Code, etc.:
5. Details of amount claimed for payment:

S.No.	Raw Sugar produced and exported / deemed export (In MT)	Incentive amount per MT (In Rs.)	Total amount admissible for incentive (In Rs.)	Remarks, if any

6. Details of documents to be enclosed:
 - I. Export Proof Documents (the documents if not in original, to be certified by Concerned Custom / Excise / Bank Authorities):
 - (A) In case of raw sugar export :
 - (a) Certified copy of ARE-1.
 - (b) Certified copy of Shipping Bill indicating option of availing duty draw back on such export.
 - (c) Certified copy of LEO.
 - (d) Certificate of export proceeds realization (BRC).

- (e) Copy of RC issued by DGFT.
 - (f) In case a merchant exporter exports raw sugar produced by the factory, then an additional certificate substantiating the contract between the merchant exporter and the factory.
 - (g) Certified copy of ER-1.
- (B) In case of refined sugar export against AA invalidation :
- (a) Agreement between raw sugar producer and AA holder
 - (b) Invalidated AA License.
 - (c) Certified copy of ARE-3.
 - (d) Certified copy of ARE-2.
 - (e) Certified copy of Shipping Bill.
 - (f) Certified copy of LEO.
 - (g) Certificate of export proceeds realization (BRC) issued by bank.
 - (h) Copy of RC issued by DGFT.
 - (i) Certified copy of ER-1.
- II. Pre-receipted bills in the prescribed Proforma as at Annexure- 1.
- III. Reconciliation statement as at Annexure-2.

Place:

Date:

(Name and designation of authorized signatory of the sugar factory)

(Please indicate the name and affix the seal)

Annexure – 1

Pre-receipted bill for defraying expenditure on Marketing And Promotion Services of raw sugar production.

(To be furnished in duplicate)

Name and address of the factory: -

Received a sum of Rs. _____ (Rs. _____ only) from the Department of Food and Public Distribution.

DECLARATION: -

1. I hereby solemnly affirm and declare that the information furnished above is correct and no relevant information has been concealed thereof.
2. I hereby declare that the above claim is in full and final settlement against the claim defraying expenditure on marketing and promotion services of raw sugar production.
3. I hereby certified that sugar factory did not receive defraying expenditure on marketing and promotion services of raw sugar production for the quantity exported during the period mentioned at S. No. 5 of Form X from the Central Govt. prior to the submission of the this claim.
4. I hereby undertake to refund to the Central Government such amount of claim received by me alongwith interest, as may be required if any information given in the claim above is found to be incorrect at any time.
5. I hereby undertake to refund to the Central Government such amount of claim received by me alongwith interest, as may be required if any amount which was received for payment of cane price dues have not been utilized for the same or if the provision of these rules are not adhered to.
6. I also declare that I am competent to make the foregoing declaration and sign these documents on behalf of the proprietor or partner or company or occupier or owner of the above sugar factory.

Place:

Date:-

(Name and designation of authorized signatory of the sugar factory)

(Please indicate the name and affix the seal)

Proforma

[See rule 20B (11)]

Utilization Certificate**Name of Sugar Factory:****Short Name and Plant Code:**

This is to certify that an amount of Rs. _____ disbursed in the no-lien Account No. _____ maintained by _____ (Name and Branch of the Bank) on _____ (Date) towards the incentive **for marketing and promotion services of raw sugar production**, was utilized by the sugar factory for payment of cane dues of farmers, relating to the Fair and Remunerative Price (FRP), fixed by the Central Government, within three months of receipt of the incentive amount.

Authorized Signatory of the sugar factory

(Not below the rank of MD or CEO)

Name

Designation

(Affix Official Seal)

Date:

Place:

Signature:

Name

Designation

(Affix Official Seal)

Date:

Place:

(To be signed by State Sugar/Cane Commissioner)